



प्रति,

कलेक्टर महोदय,

जिला-बस्तर, जगदलपुर (छ०ग०)

विषय :- विद्यालय में EMRS प्रबंधन समिति के गठन करवाने के संबंध में ।

संदर्भ :- राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली का पत्र क्रमांक NESTS/NESTS-Circulars/129/2025-26 Date- 09/10/2025

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित लेख है कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक EMRS प्रबंधन समिति का गठन किया जाना है । निर्देशानुसार समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा किया जाएगा ।

उक्त के क्रम में समिति संस्थान के समग्र विकास के साथ-साथ शैक्षिक, प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों की देख-रेख के लिए मुख्य निकाय के रूप में कार्य करेगी, जो छात्रों के बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता, समुदाय की भागीदारी और अनुशासन के विकास को भी सुगम बनाएगी । यह समिति निधियों के उपयोग, पर्यवेक्षित स्कूल संचालन और निरंतर सुधार के लिए मार्गदर्शन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी ।

समितियों के कार्य/शक्तियाँ (Functions/ Powers of the Management Committee):

- स्कूल के लिए NESTS से प्राप्त निधियों पर व्यय का नियंत्रण सुनिश्चित करना, उचित संरक्षकता (custody) का प्रयोग करना, सही संवितरण (disbursement) और चालू वर्ष के खाते का सटीक रखरखाव करना ।
- अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमान तैयार करना, जिसमें स्टाफ के वेतन, उपकरणों की खरीद, गैर-मरम्मत भवनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय दोनों शामिल हैं, और इस तरह के व्यय के लिए मंजूरी प्राप्त करना ।
- स्कूल के उचित संचालन और कार्यप्रणाली पर सामान्य पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना, जिसमें स्कूल के सभी कर्मचारियों के रखरखाव, अनुशासन और सुचारु कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना शामिल है ।
- स्कूल में कर्मचारियों के सदस्यों के रखरखाव और अनुशासन की देख-रेख करना, जिसमें छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना और उनका पोषण करना शामिल है ।
- हॉस्टल, कैटरिंग और समग्र कल्याण कार्यक्रमों सहित छात्रों के कल्याण की देख-रेख करना ।
- किसी भी सुधार या सुधार के लिए सुझाव देना और स्कूल के कार्य में परिवर्तन के लिए प्रक्रियात्मक बदलाव करना ।
- स्थानीय सहायता और सहयोग को सुरक्षित करने के लिए स्कूल की सहायता करना, ताकि स्कूल का कार्य और विकास मजबूत हो सके ।
- विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित (authorize) करना और मंजूरी देना ।

समिति का कार्यकाल (Tenure):

समिति के कार्यकाल हेतु NESTS द्वारा निम्न दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं -

- ईएमसी के अध्यक्ष, जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त अपने पदेन (ex-officio) पद पर बने रहेंगे।
- प्राचार्य (Principal) पदेन सदस्य-सचिव होंगे।
- सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसके बाद वे पुनः नामांकन के पात्र होंगे।
- सदस्यों का कार्यकाल कार्यालय में उनके बने रहने तक या समिति के पुनर्गठन तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा।
- नए स्थापित स्कूलों के लिए, प्राचार्य समिति के अनुमोदन के लिए NESTS को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जिसे राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ईएमआरएस सोसायटी के माध्यम से किया जाएगा, और अनुमोदन के बाद यह समिति कार्य करेगी।

बैठकों की आवृत्ति (Frequency of Meetings):

- समिति की बैठक एक तिमाही (quarter) में कम से कम एक बार होगी।
- अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार विशेष बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

EMRS प्रबंधन समिति की संरचना:

क्र.सं.	पदपदाधिकारी/	भूमिका	रिमार्क
1	जिला मजिस्ट्रेट उपायुक्त/कलेक्टर/	अध्यक्ष	
2	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य	
3	कार्यपालक अभियंता) लोक निर्माण विभाग,PWD) ,(भवन (	सदस्य	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	
5	उप-प्राचार्य विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक /	सदस्य	श्री मुकुल (पी0जी0टी0) कंप्यूटर विज्ञान
6	जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी /DWO/PO/PA,ITDA (जो भी सक्षम प्राधिकारी हो)	सदस्य	नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी
7	निकटतम स्कूल के प्राचार्य	सदस्य	श्री मुकेश कुमार सैनी प्राचार्य ,EMRS तोकापाल
8	दो प्रतिनिधि ,(पिता-माता)जिनमें एक पुरुष और एक महिला होगी।	सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा
9	प्राचार्य - संबंधित EMRS	सदस्य-सचिव	

रिमार्क :

- संस्था में उप-प्राचार्य का पद खाली होने के कारण संस्था में कार्यरत श्री मुकुल (पी0जी0टी0) कंप्यूटर विज्ञान, वरिष्ठतम शिक्षक) को क्र.सं. 5 में प्रदर्शित पद/पदाधिकारी के सापेक्ष सदस्य की भूमिका हेतु नामांकित किया गया है।
- क्र.सं. 7 में प्रदर्शित सदस्य पद हेतु श्री मुकेश कुमार सैनी, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तोकापाल,(निकटतम) नामांकित किया गया है।
- क्र.सं. 8 में प्रदर्शित सदस्य की भूमिका हेतु दो प्रतिनिधि (माता-पिता), जिनमें एक पुरुष और एक महिला होगी। श्री समदू राम मौर्य f/o दक्ष मौर्य (7th 'B' का छात्र) एवं श्री मती सविता कश्यप m/o धृति कश्यप (9th 'A' की छात्रा) का नाम आपके अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि क्र. 06 में सदस्य की भूमिका हेतु जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी / DWO/ PO/ PA, ITDA (जो भी सक्षम प्राधिकारी हो), की नियुक्ति कर EMRS प्रबंधन समिति के गठन में दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदाय करने की कृपा करें ।

Mukul 03/07/2026
for प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
छिन्दावाड़ा, दरभा, जिला - बस्तर

Fn. No/2083 /Eklavya/EST-1/2026-27
प्रतिलिपि:-

CHHINDAWADA, DATED - 03/07/2026

1. आयुक्त, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, भू-तल, गेट नंबर-3ए, जीवन तारा बिल्डिंग, सांसद मार्ग, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ ।
2. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जगदलपुर, जिला - बस्तर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ ।

Mukul 03/07/2026
for प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
छिन्दावाड़ा, दरभा, जिला - बस्तर